

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

// ज्ञापन //

क्रमांक C/618 /
दो-15-17/59 भाग-पांच

जबलपुर, दिनांक : 31/01/2019

प्रति,

प्रिंसिपल रजिस्ट्रार
उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश,
खण्डपीठ इन्दौर एवं ग्वालियर।

विषय - उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कैश लेस मेडिकल सुविधा योजना के संबंध में सहमति/असहमति व्यक्त करने बाबत।


उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, माननीय स्थापना कमेटी एवं स्टाफ वेलफेयर कमेटी के मिनिट्स दिनांक 14.12.2018 अनुमोदित किए गए हैं। उक्त अनुमोदित विषय क्रमांक 10 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इन्दौर एवं ग्वालियर में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों से संलग्न प्रपत्र अनुसार कैश लेस मेडिकल सुविधा योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सहमति/असहमति प्राप्त कर इस रजिस्ट्री की ओर सूची बनाकर प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्न : प्रपत्र

पृष्ठांकन क्रमांक C/619 /
दो-15-17/59 भाग-पांच

(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)
जबलपुर, दिनांक : 31/01/2019

प्रतिलिपि :- उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ, जबलपुर में पदस्थ समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से प्रपत्र पर सहमति/असहमति व्यक्त कराने हेतु सी एण्ड डी शाखा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रषित।


30.1.19
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// प्रपत्र //

मैं.....पदनाम.....यूनिक
कोड नम्बर.....उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ,
जबलपुर खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर प्रस्तावित कौशल लेस मेडिकल सुविधा
योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति/असहमति निम्नानुसार
व्यक्त करता/करती हूँ।

(क) सहमत हूँ ()
(ख) असहमत हूँ ()

- नोट:- 1. अपनी सहमति हेतु (√) तथा असहमति हेतु (X) का निशान
लगावें।
2. जो लागू न हो उसे काट दें।

हस्ताक्षर.....

दिनांक